10 Rs. COURT FEE १० रु.
भारत
दस रुपये
TEN RUPEES

R179-II/07

(27)

न्यायालय मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी
(राजस्व मण्डल) म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक.....................

श्रीमती सुधा शर्मा................आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन ....आवेदक

विषयः स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 56 (4) के अन्तर्गत निगरानी ग्रहण करने के संबंध में।

निवेदन है कि आवेदक ने कलेक्टर ऑफ स्टाम्प मुरैना के आदेश दिनांक 29.12.2004 प्रकरण क्रमांक 23/2002–03/बी 1203 के विरूद्ध स्टाम्प अधिनियम की धारा 47क (4) के अन्तर्गत प्रथम अपील आयुक्त महोदय, चम्बल संभाग मुरैना को दिनांक 1.4.2005 को प्रस्तुत की थी जो अपर आयुक्त के न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 104/2004–05/अपील/स्टाम्प पर दायर हुई परन्तु बाद में पता चला कि यह प्रकरण स्टाम्प अधिनियम की धारा 33–40 के अन्तर्गत कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के यहां दायर हुआ है। अतः स्टाम्प अधिनियम की धारा 56 (4) के अन्तर्गत निगरानी न्यायालय श्रीमान में प्रस्तुत होना विधि अनुकूल हे।

अतः न्यायालय अपर आयुक्त, चम्बल संभाग मुरैना से निवेदन कर उपरोक्त अपील प्रकरणको न्यायालय श्रीमान में प्रस्तुत करने हेतु मांगा गया जो दिनांक 24.01.2007 को अपीलार्थी के अधिवक्ता को वापिस प्रदान किया गया।

अतः निवेदन है कि अपर आयुक्त महोदय से वापिस की गई अपील को बतोर निगरानी स्टाम्प विधाना की धारा 56 (4) के अन्तर्गत स्वीकार करने की कृपा की जाये।

विलम्ब सदभावनापूर्वक मान्य किये जाए।

स्थान– ग्वालियर

दिनांक– 25.01.07 आवेदक

श्रीमती सुधा शर्मा

द्वारा अधिवक्ता

(13)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 179–दो / 2007 **जिला–मुरैना**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
03.09.2014	प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण में आवेदक एवं आवेदक अधिवक्ता सूचना उपरांत दिनांक 11–11–2010 से लगातार अनुपस्थित हैं । प्रकरण आवेदक अधिवक्ता की उपस्थित के लिये दिनांक 03–09–2014 तक नियत होता रहा किन्तु दिनांक 11–11–10 से 03–09–14 तक न्यायहित में आवेदक अधिवक्ता की उपस्थिति का इंतजार किया जाकर न्यायहित में आवेदक को पर्याप्त समय मिलने के पश्चात् भी वे अनुपस्थित रहे । वहीं सुनवाई दिनांक 03–09–2014 को तीन बार पुकार लगवाई गई इसके पश्चात् भी कोई उपस्थित नहीं हुआ । उपरोक्त स्थिति से ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को इस प्रकरण को चलाने में कोई रूचि नहीं है । प्रकरण अनावश्यक रूप से वर्ष 2007 से लंबित चला आ रहा है । ऐसी स्थिति में आवेदक को प्रकरण को चलाने में कोई रूचि न होने के कारण प्रकरण को इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस हो । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । **प्रशासकीय सदस्य**	